न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 148/2025(GCMS : 2025/224)

रामेश्वर पुत्र श्री महावीर जाति ब्राह्मण निवासी चक 2 एलजीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**
2. **पवन कुमार** पुत्र रेखाराम जाति नाई निवासी चक 2 एलजीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **हनुमानराम** पुत्र श्री रेखाराम जाति नाई निवासी चक 2 एलजीएम तसहील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **अनिता** पत्नी रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी चक 2 एलजीएम तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
5. **श्रीमान् शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**, शाखा सूरतगढ़
6. **श्रीमान् शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक** शाखा ए.डी.बी., सूरतगढ़
7. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.07.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विजय रेवाड़ ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2025 अनवानी रामेश्वर बनाम पवन कुमार वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2025 अनवानी रामेश्वर बनाम पवन कुमार अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:48 IST
Reason: SelfAttested